न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर, म.प्र.

प्रकरण क्रमांक R 3687-III/14 /2014

श्रीमती कृष्णा शर्मा, पत्नी श्री प्रमोद शर्मा, निवासी–ग्राम तिलातिली (श्रीपुरचक्क), तहसील–बदरवास, जिला–शिवपुरी म.प्र.....आवेदिका

बनाम

1. अनिल, पुत्र जगदीश नारायण त्रिपाठी, निवासी–कमलागंज, शिवपुरी, म.प्र.
2. प्रमोद, पुत्र श्री रोशनलाल शर्मा, निवासी–ग्राम तिलातिली (श्रीपुरचक्क), तहसील–बदरवास, जिला–शिवपुरी, म.प्र. ....अनावेदकगण

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959, विरूद्ध आदेश दिनांक 15.10.2014 प्रकरण क्रमांक 28/13–14/अ–70 में पारित द्वारा श्रीमान न्यायालय तहसीलदार–बदरवास, परगना–कोलारस, जिला–शिवपुरी

श्रीमान जी,

आवेदिका द्वारा रिवीजन निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैं:–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, कि अनावेदक क्र. 1 अनिल कुमार त्रिपाठी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250, म.प्र. भू–राजस्व संहिता का भूमि सर्वे क्रमांक 296/2 रकबा 0.470 हैक्टेयर ग्राम तिलातिला (श्रीपुरचक्क), पर अवैध रूप से कब्जा, आवेदक द्वारा किये जाने के कारण उक्त आराजी का कब्जा दिलाये जाने हेतु तहसीलदार बदरवास के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।
2. यह कि, उक्त आवेदन में अनावेदक/आवेदिका द्वारा धारा 250 म.प्र. भू.रा. संहिता का जवाब प्रस्तुत किया एवं एक आवेदन–पत्र अंतर्गत आदेश 7, नियम 11 सी.पी.सी. का इस आशय का प्रस्तुत किया, कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 में इस तथ्य का उल्लेख नही है, कि आवेदिका द्वारा उन्हें किस तारीख, महिना, व सन् में बेदखल किया गया हैं।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3687-तीन/14 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/4/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी कोलारस जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **अनुविभागीय अधिकारी कोलारस**	